

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्ड

दूरभाष क (0733)-2223244 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2022/ 5068
प्रति,

खंडवा, दिनांक 30-11-22

कार्यपालन यंत्री,

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमि.

पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल

विषय:-

खण्डवा जिले के अंतर्गत वनमण्डल खण्डवा मे मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित एवं संचालित सैलानी रिसॉर्ट हेतु 11 के.व्ही. विद्युत लाईन में प्रभावित 0.2681 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बाबत।
(ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/VELEC/154908/2022)

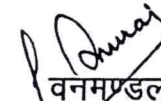
संदर्भ:-

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/ एफ-4/118/2022/10-11/3984 भोपाल दिनांक 24.11.2022

---000---

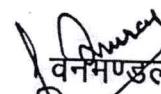
उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि खण्डवा जिले के अंतर्गत वनमण्डल खण्डवा मे मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित एवं संचालित सैलानी रिसॉर्ट हेतु 11 के.व्ही. विद्युत लाईन में प्रभावित 0.2681 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सैध्यांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। शर्त क्रमांक 02 के अनुसार 100 वृक्षों के रोपण हेतु राशि रु. 2,00,000/- एवं शर्त क्रमांक 03 के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रु. 3,46,613/- ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करावें। स्वीकृति में दर्शित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल खंडवा

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ऑनलाईन/2022/ 5069 खंडवा, दिनांक 30-11-22
प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- उपवनमण्डलाधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। समस्त शर्तों का पालन कराया जावें।
 - 3- वनपरिक्षेत्राधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संदर्भित पत्र में दर्शित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करते हुये औपचारिक स्वीकृति जारी होने तक आवेदक संस्था को कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति न दी जावें।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार (अनु.क्र. 02 व 03 हेतु)


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खण्डवा